न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या मुतफरिक 05/2017 (प्रार्थना पत्र)

1. श्री मन्नालाल पिता हीमा जी गुर्जर निवासी बांसड़ा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

..... प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मोती पत्नी मन्नालाल जी गुर्जर निवासी बांसड़ा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

..... विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट

मुतफरिक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9, नियम–9
सपठित धारा–151 सी.पी.सी.विरूद्ध आदेश भू–प्रबन्ध
अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी निर्णय
दिनांक दि0 12–12–2014 प्रकरण सं. 09/2012

————————————

उपस्थित :–1– श्री महेन्द्र सनाढ्य अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एस.एल. लढ्ढा रेस्पोन्डेन्ट

————/————

आदेश **दिनांक 16–10–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 145/2007 जिसमें श्री मोती बनाम श्री मन्ना के प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5–9–2011 को मोती का वाद एक–तरफा डिक्री किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट मन्नालाल द्वारा आदेश–9, नियम–13 का आवेदन पेश कर एक–तरफा डिक्री अपास्त किये जाने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश–9, नियम–13 जाब्ता दीवारी के श्री मन्नालाल के आवेदन प्रकरण संख्या 145/2007 को दिनांक 24–1–2012 को खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 145/2007 के निर्णय दिनांक 24–1–2012 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी मन्नालाल

द्वारा अपील संख्या 9/2012 इस न्यायालय में दिनांक 16–2–2012 को पेश की।

इस न्यायालय की अपील संख्या 9/2012 में दिंनाक 12–12–2014 को अपीलान्ट व अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दी गई।

अपील संख्या 9/2012 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12–12–2014 को अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो जाने से रूष्ट होकर अपीलान्ट मन्नालाल द्वारा बाजदायरी का आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 28–3–2017 को पेश किया। प्रकरण में विपक्षी श्रीमती मोती की और से अधिवक्ता श्री एस.एल. लढ्ढा उपस्थित हुए। इस न्यायालय की मूल अपील संख्या 9/2012 की पत्रावली तलब की गई।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 12–9–2014 को अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्यो का बहिष्कार करने से आगामी पेशी दिनांक 12–12–2014 की छाप लगाकर दी गई तथा दिनांक 12–12–2014 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दी गई, जबकि निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था। दिनांक 12–9–2014 की पेशी की सूचना भी पक्षकारान को नहीं थी। दिनांक 12–9–2014 अथवा दिनांक 12–12–2014 की पेशी की सूचना अपीलान्ट को अधिवक्ता द्वारा उसे नहीं दी गई तथा वह इस भरोसे में रहा कि अधिवक्ता नियमित पैरवी कर रहे है। अधिवक्ता की चुक व गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विवादित भूमि विभाजन के नोटिस दिंनाक 28–2–2017 को जारी किये गये, जिससे उसे अपील खारिज होने की जानकारी हुई एवं अन्दर जानकारी मयाद उसके द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अपीलान्ट प्रार्थी की अपील दिनांक 12–12–2014 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की गई है।

उक्त अपील को पुनः बाजदायरी किये जाने के लिए मयाद एक माह होकर दिनांक 11–1–2015 होती है। अपीलान्ट द्वारा यह बाजदायरी आवेदन 28–3–2017 को यानि करीब 2 वर्ष 2 माह के विलम्ब से पेश किया है। विलम्ब कण्डोन किये जाने के लिए जो आवेदन पेश किया है, उसमें यह वर्णित किया है कि निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था, जबकि आदेश–41, नियम–17 के स्पष्टीकरण अनुसार अदम हाजरी, अदम पैरवी में न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के लिए सशक्त नहीं करता। अपीलान्ट का अन्य आधार यह है कि उसे दिनांक 12–9–2014 एवं 12–12–2014 की पेशी की जानकारी नही थी तथा वह अपने अधिवक्ता के भरोसे रहा। अपीलान्ट द्वारा बाजदायरी आवेदन 26 माह बाद प्रस्तुत किया गया है। 26 माह के दौरान उसने अपने अपील प्रकरण पर क्या कार्यवाही की, वह अपने अधिवक्ता से इतनी दीर्घ अवधि में क्यों नहीं मिला, इसका कोई संतोषजनक आधार नहीं दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 2002 (एस.सी.) पेज 451 तथा आर.एल.डब्ल्यू. 2013 (1) पेज 269 पेश की है। प्रथम नजीर इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है क्योंकि आवेदन में भी ऐसे तथ्या वर्णित नहीं है, जो इतने विलम्ब के कण्डोन किये जाने के लिए उचित व पर्याप्त है। जहां तक द्वितीय नजीर का प्रश्न है, हम प्रथम दृष्टया अधिनस्थ न्यायालय के आदेश–9, नियम–13 के निर्णय में कोई गम्भीर त्रुटि नहीं की है, इसके विपरित आदेश–9, नियम 13 के आवेदन को खारिज हो जाने पर भी अपील में अपीलान्ट प्रार्थी के 26 माह की निष्क्रियता उसके इस प्रकरण में अरूची ही जाहिर करता है।

उपरोक्त अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा उक्त दोनों नजीरे इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है।

अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि उसे प्रकरण की जानकारी भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 28–2–2017 को विभजन नोटिस जारी करने से हुई है, भी मान्य नहीं है क्योंकि उक्त नोटिस इस पत्रावली में पेश नहीं हुआ है तथा अपीलान्ट प्रार्थी को पूर्व में इस प्रकरण की जानकारी नहीं हो यह भी नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट द्वारा मूल आवेदन में एक अन्य आधार यह भी लिया है कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इन्हीं कृषि

भूमि को लेकर प्रकरण संख्या 392/2013 लम्बित होकर स्थगन था तथा वह इस स्थगन के भरोसे रहा।

प्रकरण में उच्च न्यायालय में यही विषय वस्तु का प्रकरण होना प्रमाणित नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय में यदि प्रकरण में स्थगन था तो इस न्यायालय को सूचित किये जाने का दायित्व अपीलान्ट प्रार्थी का था।

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 19, ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पेज 2276 पेश की है। जिसमें मयाद कण्डोन किये जाने के लिए पर्याप्त आधार होना वर्णित किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2017 (24) पेज 122 प्रस्तुत की है, जो यह व्यक्त करती है कि मयाद कण्डोन किये जाने के लिए सिर्फ अधिवक्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह न्यायिक नजीर प्रकरण से सुसंगत है।

उपरोक्तानुसार हम इस प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा 26 माह के विलम्ब को कण्डोन किये जाने के लिए जो आधार वर्णित किये गये है, उन्हें उचित एवं पर्याप्त नहीं पाते। अतएव यह आवेदन प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर